प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 12.01.2026

आपरेशन क्रैक डाउन अभियान के तहत थाना दुधारा पुलिस द्वारा गौकशी में वांछित ईनामिया अभियुक्त, पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अमित कुमार* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दुधारा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.01.2026 को गौकशी में वांछित ईनामिया अभियुक्त अनीश पुत्र मोहम्मद नईम निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को इस्लामाबाद से करमाखान जाने वाली सड़क के पास पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।

बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 12/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-
01. अनीश पुत्र मोहम्मद नईम निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर। (घायल)

अभियुक्त अनीश पुत्र मोहम्मद नईम का अपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 1567/2014 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 639/2015 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 671/2015 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 685/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 402/2016 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 507/2015 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 1151/2017 धारा 110 G गुण्डा एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0स0 386/2019 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 294/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 34/2024 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
- मु0अ0सं0 12/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-
01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर।
02 अदद खोखा कारतूस.315 बोर।
01 अदद जिंदा।

घटना का विवरणः-
आज दिनांक 12.01.2026 थाना दुधारा पर मु0अ0स0 08/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत अभियोग में गौकशी में वांछित 25000 रु0 ईनामिया अभियुक्त अनीश पुत्र मोहम्मद नईम निवासी करमाखान थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के इस्लामाबाद से करमाखान जाने वाली सड़क पर नहर के किनारे होने की सूचना मिली। सूचना पर थाना दुधारा पुलिस व एसओजी टीम द्वारा समय करीब 02.20 बजे सुबह में घेराबन्दी करके अभियुक्त को बार-बार आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया परन्तु अभियुक्त ने आत्मसमर्पण न करके गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस के ऊपर अवैध तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया गया जिससे अभियुक्त अनीश के बायें पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के पास से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। जिसके उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है, नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-
01. प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अरविन्द शर्मा मय टीम।
02. प्रभारी निरीक्षक एसओजी श्री अजय कुमार सिंह मय टीम।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार 03 पीड़ितों की शत-प्रतिशत धनराशि लगभग 2.80 लाख रु0 कराई गई वापस

साइबर सेल के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र व नगद पुरस्कार से किया गया सम्मानित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे क्रैक साइबर क्राइम अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों की प्रभावी रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत प्रदान करने के क्रम में साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद, थाना दुधारा एवं थाना धनघटा की पुलिस टीम द्वारा उत्कृष्ट कार्य करते हुए साइबर ठगी के शिकार 03 पीड़ितों की संपूर्ण फ्रॉड धनराशि शत प्रतिशत लगभग 2,80,000/- रु0 उनके बैंक खातों में वापस कराई गई।

उक्त सराहनीय कार्य हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा साइबर सेल पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को उनकी तकनीकी दक्षता, तत्परता एवं टीम भावना की प्रशंसा करते हुए प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग से साइबर अपराधों पर नियंत्रण में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस प्रकार के सम्मान से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है तथा अन्य पुलिसकर्मी भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं।

महोदय द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई कि वे साइबर जागरूकता अभियान के अंतर्गत साइबर अपराधों के प्रति सतर्क एवं जागरूक रहें। वर्तमान डिजिटल युग में साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी कॉल, ओटीपी धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग एवं फर्जी लिंक के माध्यम से अपराधी आमजन को अपना शिकार बना रहे हैं। अतः कोई भी व्यक्ति अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक विवरण अथवा व्यक्तिगत जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति से साझा न करें तथा किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक पर बिना सत्यापन के विश्वास न करें और न ही क्लिक करें।

घटना का संक्षिप्त विवरण
01. दिनांक 06.01.2026 को आवेदक रामानुज मौर्य निवासी जंगलऊन बलुअरा, थाना कोतवाली खलीलाबाद द्वारा सूचना दी गई कि APK फाइल के माध्यम से साइबर फ्रॉड कर उनके क्रेडिट कार्ड से 2,00,000/- रु0 की अवैध खरीदारी कर ली गई थी। सूचना पर साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पर नियुक्त कर्मी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संपूर्ण धनराशि आवेदक के बैंक खाते में वापस कराई गई।
02. दिनांक 09.01.2026 को आवेदिका दिव्या पुत्री रामलखन, निवासी ग्राम घोरांग, थाना धनघटा द्वारा सूचना दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके बैंक खाते से 54,000/- रु0 की धनराशि धोखाधड़ी से निकाल ली गई है। सूचना पर साइबर सेल पर मौजूद कर्मी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 18,000/- रु0 तत्काल खाते में वापस कराए गए तथा शेष 36,000/- रु0 की धनराशि होल्ड कराई गई।
03. दिनांक 15.10.2025 को आवेदक फजल रसुल निवासी भंगुरा अहिरानी, थाना दुधारा द्वारा सूचना दी गई कि उनके खाते से UPI के माध्यम से 25,000/-रु0 की धनराशि अज्ञात खाते में ट्रांसफर हो गई थी। सूचना पर साइबर सेल थाना दुधारा पर नियुक्त कर्मी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए संपूर्ण धनराशि वापस कराई गई।
सम्मानित किए गए पुलिसकर्मी
थाना धनघटा निरीक्षक अपराध श्री रामेश्वर यादव,आरक्षी इन्द्रजीत प्रजापति
थाना कोतवाली खलीलाबाद कंप्यूटर ऑपरेटर रमापति सिंह, महिला कांस्टेबल रीता देवी
थाना दुधारा आरक्षी ऋषिकेश यादव

कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री अमित कुमार, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री पी.के. गुप्ता सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना धनघटा पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने कि मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस*** द्वारा अवैध शराब निर्माण, बिक्री व परिवहन के सम्बन्ध में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मु0अ0सं0 210/2025 धारा धारा 60(2), 63 आबकारी अधि0 व 274 बीएनएस थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर में वांछित अभियुक्त पंकज साहू पुत्र गोवर्धन साहू निवासी ग्राम उदरंगी थाना भाण्डरा जनपद लोहरदग्गा राज्य झारखण्ड को मझवार राय ढाबा के पास से गिरफ्तार कर मा0 न्यायाल रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण विदित हो कि पूर्व में दिनाँक 13.05.2025 को जनपदीय एसओजी टीम व थाना धनघटा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए 10 भट्ठी व 95 लीटर अपमिश्रित देशी कच्ची शराब मय शराब बनाने के उपकरण के साथ 05 नफर अभियुक्ताओं **1.** दिलसरी देवी पत्नी तेजू साहू साकिन ग्राम गुड़ी बागी थाना कैरो जनपद लोहरदगा झारखण्ड, 2. बालमन्ती पत्नी अनूप निवासी ग्राम चपका थाना घाघरा जनपद गुमला झारखण्ड, 3. मुन्नी देवी पत्नी कंचन लोहरा निवासी ग्राम लोहरदगा थाना लोहरदगा जनपद लोहरदगा झारखण्ड, 4. सुषमा पत्नी बेनी साहू निवासी ग्राम सलगी थाना कुडु जनपद लोहरदगा झारखण्ड, 5.मुन्नी देवी पत्नी मनोज निवासी ग्राम मिठौरा बाजार हरतोरवा थाना निचलौल जनपद महराजगंज को गिरफ्तार करते हुए 2000 ली0 लहन नष्ट किया गया था। दिनांक 04.07.2025 को राज कुमार शाहू पुत्र स्व0 अवधेश शाहू निवासी जुरिया रोड़, राजबंगला थाना लोहरदग्गा, जनपद लोहरदग्गा राज्य झारखण्ड को राय ढाबा भक्ता से गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया था।
उक्त गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 12.01.2026 को अभियुक्त पंकज साहू पुत्र गोवर्धन साहू निवासी ग्राम उदरंगी थाना भाण्डरा जनपद लोहरदग्गा राज्य झारखण्ड को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. पंकज साहू पुत्र गोवर्धन साहू निवासी ग्राम उदरंगी थाना भाण्डरा जनपद लोहरदग्गा राज्य झारखण्ड।

पुलिस टीम का विवरणः -

उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव, कां0 विनीत वर्मा।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 12.01.2026 को थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 470/2025 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को नन्दौर चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 03.12.2025 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बाल अपचारी को आज दिनांक 12.01.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री सुरेश यादव, हे0का0 कोमल प्रसाद, का0 बालगोविन्द।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 57 वाहनों से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.01.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 57 वाहनों से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार पीड़ित के साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा 07 लाख 71 हजार 185 रुपये की धनराशि पीड़ितों के खाते में कराई गयी वापस

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अमित कुमार*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना ***श्री जयप्रकाश चौबे*** के नेतृत्व में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने के क्रम में साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार 25 पीड़ितों को **07 लाख 71 हजार 185 रुपये की धनराशि उनके खातों में** वापस कराई गयी।

***घटना का संक्षिप्त विवरण*-**

01.आवेदक श्री राम नरायन चौधरी पुत्र चन्द्रिका प्रसाद निवासी काटगंगा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 12.06.2025 को अज्ञात व्हाट्सएप नम्बर से आवेदक के व्हाट्सएप पर प्रधानमंत्री आवास के नाम से APK फाइल आया। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 47,955 रुपया वापस कराया गया।

02.श्री संदीप कुमार पुत्र कृशचन्द्र निवासी वत्सी वत्सा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 14.07.2025 को अज्ञात व्हाट्सएप नम्बर से आवेदक के व्हाट्सएप पर शादी कार्ड के नाम से APK फाइल आया । त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 55,999.66 रुपया वापस कराया गया ।

03.आवेदक श्री सतीश सिंह पुत्र झिनकान सिंह निवासी पाकरडीहा थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 14.102024 को फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से आवेदक के दोस्त सलमान के नाम से मैसेज आया कि मैं फँस गया हूं पैसे की बहुत जरूरत है और खाता संख्या भेजा जिस पर आवेदक द्वारा 60,000 रूपया भेज दिया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 19,284.23 रुपया वापस कराया गया।

04.आवेदक श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुरेश निवासी ग्राम परवता पोस्ट विश्वनाथपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन कर खुद को बैंक का कर्मचारी बताते हुए आवेदक को विश्वास मे लेकर आवेदक से ओटीपी मांगकर आवेदक के खाते से फ्रॉड कर कर लिया गया । त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 1,38,030 रुपया वापस कराया गया।

05. श्रीमती कुसुम तिवारी पत्नी देवी प्रसाद निवासी सिंहरा मऊ थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिफ्ट पार्सल भेजने की बात कर उक्त गिफ्ट पार्सल के पकड़े जाने व छोड़ने के नाम पर कस्टम अधिकारी बनकर डराकर अलग अलग खाते में आवेदिका से फ्राड कर लिया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 1,20,000 रुपया वापस कराया गया।

06. श्री संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व0 वासुदेव सिंह निवासी ग्राम कनौरा पोस्ट लेवरूआ थाना चन्दवक जनपद जौनपुर हालपता - थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधड़ी कर वादी के खाते का UPI आईडी बनाकर खाते से फ्राड कर लिया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 26,500 रुपया वापस कराया गया।

07.श्री मिथिलेश निवासी खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर के द्वारा गलत ट्रांजेक्शन हो गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 25,000 रुपया वापस कराया गया।

08.हे0का0 उमेश प्रसाद निवासी पुलिस लाइन जनपद संतकबीरनगर के द्वारा गलत ट्रांजेक्शन हो गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 10,000 रुपया वापस कराया गया।

09.हे0का0 ब्रिजा यादव निवासी पुलिस लाइन जनपद संतकबीरनगर के मोबाइल नम्बर पर किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते में लिंक होने कारण पैसा उस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 14000 रुपया वापस कराया गया।

10.श्री नवमीलाल निवासी खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर का मोबाइल चोरी हो गया था जिसके बाद पैसा ट्रांसफर हो गया था। साइबर थाना द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 90,000 रुपया वापस कराया गया।

11.श्री हरिओम निवासी खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को फ्राडर द्वारा इनका खाता खुलवाकर लोन अमाउंट भेजवाकर पैसे निकाल लिये गये। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 10,000 रुपया वापस कराया गया।

12.श्री इसरार अहमद निवासी टेमा रहमत जनपद संतकबीरनगर के साथ APK फाइल डाउनलोड करके फ्राड किया गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 12000.00 रुपया वापस कराया गया।

13.श्री छोटेलाल निवासी सेवईपार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के खातें में एक अंक गलत हो जाने के कारण पैसा किसी अन्य व्यक्ति खाते में चला गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 20,000.00 रुपया वापस कराया गया।

14.श्री भाल चन्द कुमार निवासी नन्दौर कमरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के खाते में एक अंक गलत हो जाने के कारण पैसा किसी अन्य व्यक्ति खाते में चला गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 10,000.00 रुपया वापस कराया गया।

15.श्री अरविन्द निवासी बघौली थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के द्वारा गलत ट्रांजेक्शन हो गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 35,000.00 रुपया वापस कराया गया।

16.श्री उपेन्द्र कुमार निवासी बखिरा जनपद संतकबीरनगर के भाई का एक्सीडेंट हो गया था। फ्राडर द्वारा इलाज के नाम पर पैसे मंगा लिया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 34,000.00 रुपया वापस कराया गया।

17.श्री हाशिम निवासी बखिरा जनपद संतकबीरनगर के व्हाट्सएप्प के द्वारा सम्पर्क करके शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर फ्राड किया गया। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 3000.00 रुपया वापस कराया गया।

18.श्री शुभम कुमार निवासी शनिचरा बाजार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के साथ APK के द्वारा फ्राड हुआ था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 35000.00 रुपया वापस कराया गया।

19.रोहित पटेल खलिलाबाद जनपद संत कबीर नगर के रहने वाले है। यूपीआई से पैसा ट्रांस्फर करते समय गलती से दूसरे के खाते में ट्रांस्फर हुआ था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 5000.00 रुपया वापस कराया गया।

20.मोइनुल हक निवासी मगहर थाना खलिलाबाद जनपद संत कबीर नगर के रहने वाले है। .apk के माध्यम से फ्राड हुआ था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 3000.00 रुपया वापस कराया गया।

21.धर्मेन्द्र कुमार निवासी बेलहरकला जनपद संत कबीर नगर के रहने वाले है। .apk के माध्यम से फ्राड हुआ था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 1010.00 रुपया वापस कराया गया।

22.विनय कनौजिया निवासी अहिरौली भुजैनी थाना खलिलाबाद जनपद संत कबीर नगर के रहने वाले है। इनके बिना जानकारी के पैसा दूसरे के खाते मे ट्रांसफर हो गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 5050.00 रुपया वापस कराया गया।

23.यतेन्द्र कुमार निवासी थवइपार खलिलाबाद जनपद संत कबीर नगर के रहने वाले है। यूपीआई से पैसा ट्रांस्फर करते समय गलती से दूसरे के खाते में ट्रांस्फर हुआ था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 10000.00 रुपया वापस कराया गया।

24.संध्या गुप्ता थाना खलिलाबाद जनपद संत कबीर नगर के रहने वाले है। यूपीआई से पैसा ट्रांस्फर करते समय गलती से दूसरे के खाते में ट्रांस्फर हुआ था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 20770.00 रुपया वापस कराया गया।

25.HC विष्णुकान्त गुप्ता पुलिस लाइन जनपद संत कबीर नगर के रहने वाले है। इनके बिना जानकारी के पैसा दूसरे के खाते मे ट्रांसफर हो गया था। त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 20585.00 रुपया वापस कराया गया।

बरामदगी टीम- प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना श्री जयप्रकाश चौबे , उ0नि0 श्री रमेश यादव, उ0नि0 श्री जयप्रकाश यादव, हे0का0 मोहम्मद हिन्दे आजाद, हे0का0 राजेश यादव, का0 रामप्रवेश मद्धेशिया, कां0 राजकुमार यादव, का0 धीरेन्द्र कुमार प्रसाद, म0का0 अमृता सिंह, म0का0 हिना गौड़, का0 सौरभ यादव।

जनपदीय पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक/एपीके फाइल, कॉल या संदेश पर अपनी बैंक जानकारी, ओटीपी, पासवर्ड या यूपीआई पिन साझा न करें, सावधानी ही सुरक्षा है।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा चलाया गया एण्टी रोमियो अभियान

- ***जनपद के समस्त थानों द्वारा 79 स्थानों पर 1509 व्यक्तियों को किया गया चेक ।***
- ***960 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया ।***
- ***29 शोहदों के विरुद्ध की गयी धारा 126/135/170 BNSS की कार्यवाही ।***
- ***52 शोहदों से माफीनामा भरवाकर हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।***

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं / बालिकाओं को जागरूक करने हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला / बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही उनके समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जागरुक किया गया, साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया जा रहा है । इस दौरान 01. थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 11 स्थानों पर 150 व्यक्तियों को चेक किया गया, 120 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा, 03 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया, 02. थाना दुधारा पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 170 व्यक्तियों को चेक किया गया, 45 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 01 शोहदें के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 07 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 03. महिला थाना पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा 05 स्थानों पर 140 व्यक्तियों को चेक किया गया, 90 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया 04. थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 18 स्थानों पर 234 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 198 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 02 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 14 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 05. थाना महुली पुलिस की एण्टी रोमियो टीम द्वारा थानाक्षेत्र में 30 स्थानों पर 350 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 320 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 15 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 15 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 06.थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 03 स्थानों पर 130 व्यक्तियों को चेक किया गया, 35 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 07. थाना बखिरा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्र में 04 स्थानों पर 180 व्यक्तियों को चेक किया गया, 40 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया, 08 शोहदों के विरुद्ध 126/135/170 BNSS की कार्यवाही की गई व 02 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया 08. थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 02 स्थानों पर 102 व्यक्तियों को चेक किया गया, 65 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया 09. थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में 02 स्थानों पर 53 व्यक्तियों को चेक किया गया, 47 शोहदों के परिजनों को बुलाकर चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा 06 शोहदों से माफीनामा भरवाया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा स्टंटबाजी व काली फिल्म वाले चारपहिया वाहनों के विरुद्ध चलाया गया अभियान

- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा 73 स्थानों पर 2459 वाहनों को किया गया चेक ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 85 स्टंटबाजी करने एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 05 चार पहिया वाहनों से उतरवायी गयी काली फिल्म ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 03 चार पहिया वाहनों पर गलत तरीके से लगे नंबर प्लेट पर की गयी कार्यवाही ।*
- ☐ *मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत 1563 वाहन स्वामियों को दी गयी चेतावनी ।*

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा तथा सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में आज दिनाँक 12.01.2026 को जनपद के समस्त थाना व प्रभारी यातायात द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल नियमों का पालन सुनिश्चित करना था, बल्कि आमजन में यातायात नियमों एवं महिला सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करना है। जनपदीय पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा ताकि नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़े तथा महिलाएं सुरक्षित वातावरण में स्वतंत्र रूप से अपने कार्य कर सकें। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराना एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है।